**दिनांक 07.05.2025 को सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों के साथ लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।**

---

## पुरातत्व निदेशालय

1. सचिव महोदय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना एवं विज्ञान शाखा, पटना के उपस्थित पदाधिकारियों को सूचित करते हुए मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार राज्य अन्तर्गत कुल 71 केन्द्रीय सुरक्षित घोषित पुरास्थलों/स्मारकों को सी०एस०आर० गतिविधि के तहत विकास हेतु पुरास्थलों का चयन करने के लिए सभी पुरास्थलों का फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. इसी क्रम में वरीय तकनीकी सहायक, पुरातत्व निदेशालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना से समन्वय स्थापित करते हुए छायाचित्र प्राप्त कर पुरास्थलों/स्मारकों का चयन करते हुए पी०पी०टी० तैयार करने का निदेश दिया गया।

3. राज्य सरकार द्वारा अशोक स्तंभ, लौरिया एवं लौरिया नंदनगढ़ स्तुप का रख–रखाव एवं विकास कार्य कराने संबंधी प्रस्ताव के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

4. पूर्वी चंपारण अवस्थित केसरिया स्तूप परिसर में वैसी भूमि जहाँ पर जल जमाव होती रहती है, उस स्थान को तालाब के रूप में विकसित करते हुए परिसर को आकर्षक स्वरूप प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उपस्थित पदाधिकारी से किया गया। साथ ही केसरिया स्तूप परिसर में रौशनी की व्यवस्था से संबंधित लंबित कार्य योजना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना को उनके मुख्यालय कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।

5. मधुबनी जिला अवस्थित बलिराजगढ. पुरातात्विक स्थल को विकसित किये जाने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को भेजे गये प्रस्ताव के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना मंडल कार्यालय को अपने मुख्यालय कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य कराने का निदेश दिया गया।

6. राजकीय सुरक्षित घोषित स्मारक गोलघर के बाहरी आवरण का रसायनिक विधि से साफ–सफाई के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विज्ञान शाखा, पटना के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अनुमानित प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली (मुख्यालय कार्यालय) को भेजा गया है। इस संदर्भ में सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, विज्ञान शाखा, पटना के पदाधिकारियों को उनके मुख्यालय कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया।

7. राजकीय सुरक्षित घोषित कुल 56 पुरास्थलों/स्मारकों पर पुरास्थल का नाम से संदर्भित अधिष्ठापित सूचना पट्ट से संबंधित छायाचित्र उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय अभियंता को दिया गया। साथ ही वैसे राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल जहाँ आगंतुकों की संख्या अधिक है, वहाँ पर धातु निर्मित एवं साईनग्लो बोर्ड लगवाने का निदेश दिया गया, जिस पर विभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

8. बालगुदर (लखीसराय) पुरास्थल के चहारदिवारी का निर्माण के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, लखीसराय से प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

9. गया जिला अंतर्गत अवस्थित राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल ताराडीह में सौंदर्यीकरण कार्य कराये जाने के संदर्भ में निदेशक, पुरातत्व द्वारा अवगत कराया गया कि ताराडीह पुरास्थल परिसर की चहारदिवारी अभी तक पूर्ण नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर काफी अतिक्रमण हो चुका है। इस संदर्भ में पुरास्थल को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए चहारदिवारी पूर्ण कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, गया से किया गया है।

उक्त के आलोक में सचिव महोदय द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को पुनः स्मारित करने का निदेश दिया गया।

10. वर्तमान वित्तीय वर्ष में पटना अवस्थित अगमकुआँ, कमलदह जैन मंदिर एवं गया जिला अंतर्गत आमस प्रखण्ड अवस्थित कमरअली सुल्तान दरगाह को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने हेतु विभागीय अभियंता को उनके प्रदत्त वित्तीय शक्ति के तहत प्राक्कलन सह कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

11. वैसे 10 राजकीय सुरक्षित घोषित पुरास्थल/स्मारक जहाँ पर पर्यटकों/आगंतुकों का आवागमन अत्यधिक है, को चिन्हित कर वहाँ पर बिहार विरासत विकास समिति के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता का ग्लोसाईन बोर्ड लगाने का निदेश विभागीय अभियंता को दिया गया। जिसमें बिहार सरकार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए है।

12. अगली समीक्षा बैठक में पुरातत्व भवन से संबंधित तथ्यों को एजेण्डा में शामिल करने का निदेश दिया गया।

## संग्रहालय निदेशालय

13. निदेशक, संग्रहालय निदेशालय को संग्रहलाय भवन एवं अटल कला भवन तथा विभाग द्वारा निर्मित अन्य आधारभूत संरचना के प्रबंधन हेतु तैयार नियमावली का प्रारूप को यथाशीघ्र संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

14. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह–स्मृति स्तूप, वैशाली में संग्रह हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। मोंक की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी को पत्र भेजने एवं आनलाईन टिकट बुकिंग सिस्टम के साथ–साथ इस स्थल को सुरक्षित घोषित करने हेतु अग्रेत्तर

कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त संग्रहालय निदेशालय में सभी स्वीकृत पदों की नियमावली यथाशीघ्र तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

15. संग्रहालय निदेशालय के अधीनस्थ राजकीय संग्रहालयों में कुछ संग्रहालयों को चिन्हित कर नई एवं डिजिटल तकनीक का प्रयोग करने के संबंध में निदेशित किया गया कि उक्त विषयों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले परामर्शी/एजेंसी का चयन कर प्रारूप डिजाईन निर्माण कराते हुए एक प्रस्तुतीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. म्युजियम ऑन व्हील्स अवधारणा पर आधारित विस्तृत योजना तैयार करने के संबंध में संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

## सांस्कृतिक कार्य निदेशालय

17. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित निदेश दिया गया कि दिनांक 19.05.2025 से सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाए जिसमें आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर के प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाय, जिनकी कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशिक्षण हेतु फीडबैक फॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम/मॉड्यूल, किट, फोटोग्राफर एवं विडियोग्राफर परीक्षा प्रणाली आदि विषयों को भी सम्मिलित किया जाय। साप्ताहिक फीड बैक फॉर्म जेनरेट करने का निदेश आई.टी. प्रबंधक को दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित सम्पूर्ण एजेण्डा तैयार कर सचिव महोदय को दिखाने का निदेश दिया गया तथा प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स कोर्डिनेटर एवं नोडल पदाधिकारी के साथ सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

18. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यालय के लिए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा हेतु प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को स्मार पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया तथा आई०टी० बॉय/गर्ल की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

19. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा कराने के संबंध में उप सचिव को राजस्व पर्षद, बिहार से समन्वय स्थापित कर ऑनलाईन परीक्षा यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

20. कलाकारों के निबंधन हेतु वेबपोर्टल में डायरेक्टर, फोटोग्राफर आदि विधाओं को भी जोड़ने की संभाव्यता तलाशने हेतु आई.टी. प्रबंधक को निदेश दिया गया तथा वेब पोर्टल से संबंधित समीक्षा द्वितीय बुधवार दिनांक 14.05.2025 को करने का निदेश दिया गया।

21. जिन जिलों से अटल कला भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन जिलों को पुनः स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

22. सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी अपने अकादमी के वार्षिक कैलेण्डर का निर्माण कर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को उपलब्ध कराए एवं निदेशक सांस्कृतिक कार्य

निदेशालय को सांस्कृतिक कैलेण्डर 2025–26 के निर्माण से संबंधित संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

23. आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षकों के चयन हेतु निविदा के माध्यम से चयनित मैनपावर एजेंसी को यथाशीघ्र कार्यादेश निर्गत कर शिक्षकों के चयन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

24. झारखण्ड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल एवं बिहार के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान हेतु निर्मित एम०ओ०यू० पर समझौता से संबंधित राज्य के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव/सचिव का सम्पर्क ब्यौरा उपलब्ध कराने एवं भेजे गए एम०ओ०यू० के समझौते पर चर्चा कर स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

25. एन०एस०डी०/एफ०टी०आई०आई०/ फिल्म सिटी से संबंधित संचिका यथाशीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

26. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अंतर्गत स्थापित सभी सांस्कृतिक संस्थानों यथा मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना, भारतीय नृत्य कला मंदिर, ललित कला अकादमी एवं बिहार संगीत नाटक अकादमी का प्रत्येक द्वितीय बुधवार को समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित करने का निदेश दिया गया।

**स्थापना**

27. सचिव महोदय के स्तर पर विभागीय आवंटनादेश निर्गत करने से संबंधित संचिका उपस्थापित होती है, के संबंध में संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

13/5/25

**(प्रणव कुमार)** भा.प्र.से.
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

ज्ञापांक 812 / पटना, दिनांक 13/05 / 2025

प्रतिलिपिः– मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/कार्यपालक अभियंता/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक अभियंता/क्षेत्रीय उप निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/परामर्शी (फिल्म)/परामर्शी (वित्त एवं लेखा), बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/पी०एम०यू० लीड/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी/आई0 टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/5/25

**(रूबी)**
सरकार के संयुक्त सचिव।